कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-13.10.2024

विषय:- **माँ दुर्गा मन्दिर में चोरी करने के मामले में वांछित अभियुक्त धीरेन्द्र सिंह थाना चोलापुर पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार, चोरी की 01 अदद एलजी टीवी व कुल 3563/- रु. नकद के साथ घटना में प्रयुक्त एक अदद लोहे की हथौड़ी व एक अदद प्लास बरामद।**

श्रीमान पुलिस आयुक्त वाराणसी के धोखाधड़ी/चोरी/लूट/नकबजनी की घटनाओ के सफल अनावरण एवं वांछित/फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, श्रीमान पुलिस उपायुक्त वरुणा ज़ोन के निर्देशन में, श्रीमान् अपर पुलिस उपायुक्त वरुणा ज़ोन के पर्यवेक्षण में एवं श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त सारनाथ के नेतृत्व में थाना चोलापुर पुलिस टीम द्वारा सीसीटीवी फुटेज व मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0-333/2024 धारा 305(a),331(4) बीएनएस थाना चोलापुर से संबंधित वांछित अभियुक्त धीरेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 लालबहादुर सिंह निवासी ग्राम भैठौली थाना चोलापुर वाराणसी को आज दिनांक-12.10.2024 को समय करीब 23.39 बजे ग्राम भैठौली से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे व निशांदेही पर एक अदद एलजी टीबी, एक अदद प्लास, एक अदद लोहे की हथौड़ी व दानपात्र से चुराया गया कुल 3563/- रुपया नगद बरामद हुआ। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना चोलापुर पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी करते हुए अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का विवरण- दिनांक-06.10.2024 को प्राचीन माँ दुर्गा मन्दिर समिति भैठौली के उपाध्यक्ष श्री जितेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा मन्दिर से माँ दुर्गा के सोने व चाँदी के आभूषण तथा नकदी सहित दानपात्र चोरी हो जाने के सम्बन्ध में लिखित प्रार्थना पत्र दिया जिसके आधार पर थाना चोलापुर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विवेचना उ0नि0 विकास कुमार द्वारा संपादित की जा रही है।

अभियुक्तगण का विवरण-

धीरेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 लालबहादुर सिंह निवासी ग्राम भैठौली थाना चोलापुर वाराणसी उम्र करीब 60 वर्ष।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय-

ग्राम भैठौली, दिनांक 12.10.2024 समय 23.39 बजे।

बरामदगी का विवरण-

एक अदद एलजी टीबी, एक अदद प्लास, एक अदद लोहे की हथौड़ी व दानपात्र से चुराया गया कुल 3563/- रुपया (100 के 5 नोट, 50 के 19,20 के 63,10 के 82 नोट व 02 के तीन सिक्के व 01 के 27 सिक्के) नकद।

<u>आपराधिक इतिहास-</u>

1.मु0अ0सं0 333/2024 धारा 305(a),331(4),317(2) बीएनएस थाना चोलापुर कमिश्नरेट वाराणसी।

2.मु0अ0सं0 093/2024 धारा 323/504/506 भादवि थाना चोलापुर कमिश्नरेट वाराणसी।

3. मु0अ0सं0 300/2008 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना चोलापुर कमिश्नरेट वाराणसी।

4.मु0अ0सं0 400/2007 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना चोलापुर कमिश्नरेट वाराणसी।

5. मु0अ0सं0 293/2006 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना चोलापुर कमिश्नरेट वाराणसी।

6.मु0अ0सं0 030/1997 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना चोलापुर कमिश्नरेट वाराणसी।

7.मु0अ0सं0 163/1994 धारा 336/323/504 भादवि थाना चोलापुर कमिश्नरेट वाराणसी।

<u>गिरफ़्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-</u>

1. उ0नि0 विकास कुमार थाना चोलापुर कमिश्नरेट वाराणसी।
2. उ0नि0 दयाशंकर यादव थाना चोलापुर कमिश्नरेट वाराणसी।
3. हे0का0 नीरज राय थाना चोलापुर कमिश्नरेट वाराणसी।
4. हे0का0 जगजीवन राम थाना चोलापुर कमिश्नरेट वाराणसी।
5. हे0का0 संजीव सिंह थाना चोलापुर कमिश्नरेट वाराणसी।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी।